राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएएचपी/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 27 APR 2017

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

कार्यकारी निदेशक,
रीको,
जयपुर।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

विषय :– मुख्यमंत्री जन आवास योजना –2015 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट हेतु ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री आवास योजना –2015 के अधीन पात्र व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित आवासीय इकाईयों के पट्टे या विक्रय के लिखत पर प्राभारीय स्टाम्प शुल्क हेतु वित्त विभाग (कर अनुभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(3)वित्त/कर/2017–113 दि. 08.03.2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

26/4/17

(राजेन्द्र सिह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास न्यास, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वित्त विभाग की अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावे।

26/4/17

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2017

"राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-220 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, ~~नगरपालिकाओं~~, ~~रीको~~ या ~~अन्य निजी~~ विकासकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन पात्र व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और इस शर्त पर प्रतिफल की रकम का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में क्रमशः 2 प्रतिशत और निम्न आय समूह के मामले में 3.5 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा कि निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय इकाइयों के आवंटन की दशा में आवंटिती, आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय के विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय,-

(i) मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन अनुमोदित स्कीम के नक्शे की प्रतियां; और

(ii) विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं या, यथास्थिति, रीको द्वारा अनुमोदित समस्त आवंटितियों की सूची;

प्रस्तुत करेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-113]

राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,

संयुक्त शासन सचिव